

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बड़जलास-श्री देवेन्द्र कुमार,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या-73/2026

GCMS No.- 2026/82

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		श्री सहदेव मेघवाल पुत्र श्री मनीराम मालिक चाय की दुकान जिन्दास तहसील व जिला नागौर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस
(प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से श्री शिवराम प्रवर्तन निरीक्षक
2. अप्रार्थी बावजूद तामिल अनुपस्थित रहा है।

निर्णय

दिनांक :-08.04.2026

राजस्थान सरकार जरिये श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद अधिकारी कार्यालय ने यह प्रार्थना-पत्र गैर सायल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत पेश कर प्रकरण में जब्त सुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर को समपहरण के आदेश दिए जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण गैर सायल के विरुद्ध दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया। गैर सायल के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक पर्याप्त तामिल होने के बावजूद उनकी ओर से आज कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में जाती हैं।

प्रार्थी की प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस यह निवेदन किया कि दिनांक 25.02.2026 को श्री देवाराम प्रवर्तन अधिकारी, श्री रामावतार पूवनिया प्रवर्तन अधिकारी, श्री शिवराम चौधरी व श्री जितेन्द्र बंशीवाल प्रवर्तन निरीक्षकगण जिन्दास में सहदेवराम मेघवाल की चाय की दुकान की जाँच करने पर यह पाया कि गैर सायल द्वारा दुकान में खाना बनाने के लिए घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जा रहा है। मौके पर 02 घरेलू




कलक्टर नागौर

सिलेण्डर पाये गये। गैर सायल से घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग एवं भण्डारण के दस्तावेज मांगे जाने पर उनके द्वारा किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये हैं।

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नम्बर	कुल वजन	रिक्त का वजन	शुद्ध गैस का वजन
1.	HPCL	164749 T	15.6 Kg	15.6 Kg	0 Kg
2.	HPCL	331069 T	20.8 Kg	15.8 Kg	05 Kg

इस प्रकार गैर सायल का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन पाये जाने पर मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त कर मौके पर ही श्री कमल पुत्र गणपतराम निवासी भकरोद हाल मैसर्स नागौर गैस सर्विस नागौर गैस एजेन्सी को प्रकरण के निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए गये हैं।

इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किये जाने के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। प्रस्तुत प्रकरण के साथ पेश की गई फर्द मौका एवं जब्ती के अवलोकन से इस जब्ती में गैर सायल सहदेव स्वयं के हस्ताक्षर है। जिससे यह प्रकट है कि जब्ती कार्यवाही गैर सायल सहदेव की उपस्थिति में की गई है एवं उनके द्वारा गैस कनेक्शन सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज कार्यवाही के समय पेश नहीं किये हैं एवं न ही न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किये हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि गैर सायल द्वारा बिना गैस कनेक्शन के ही व्यावसायिक सिलेण्डर का उपयोग किया जा रहा है जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः प्रकरण में जब्त सुदा ~~02~~ 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा





कलक्टर नागौर

6 ए के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) किया जाकर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, नागौर को आदेश दिये जाते हैं कि जब्तसुदा गैस सिलेण्डर मय गैस का कीमतन निस्तारण किया जावें तथा बाकि सामग्री के नियमानुसार निलाम किया जाकर इनसे प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाया जावें। यह राशि राजकीय घोषित की जाती हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, नागौर को पालनार्थ भेजी जावें।



निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर,
नागौर